रजिस्ट्री /99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 249] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 25, 2002/अग्रहायण 4, 1924
No. 249] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 25, 2002/AGRAHAYANA 4, 1924

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

नीतिगत संकल्प

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2002

सं. एफ. 37-3/विधिक(iv)/2002.— अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 23 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एतद् द्वारा नीतिगत संकल्प के रूप में निम्नलिखित विनियम बनाती है ।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने विगत में विभिन्न प्रोग्रामों को अनुमोदन प्रदान करने की प्रक्रिया के दौरान इस प्रणाली में विसंगतियों का अनुभव किया है।

तकनीकी शिक्षा में गुणात्मक और मात्रात्मक तरीके से सुधार लाने को सुविधाजनक बनाने और तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा का समन्वित और एकीकृत विकास सुनिश्चित करने तथा स्तर को बनाए रखने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् समय-समय पर अनुमोदन प्रक्रिया में सुधार हेतु अकादमियों, राज्य सरकार से प्राप्त विभिन्न सुझावों को अपनाती आई है ।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की कार्यकारी समिति ने कुछ महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए हैं और इन निर्णयों के अनुपालन स्वरूप अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् इन सभी निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु प्रतिबद्ध है जो कि शैक्षणिक वर्ष 2003-2004 के बाद से इस संकल्प का आधार होंगे।

1) नए तकनीकी संस्थान की स्थापना अथवा भर्ती में वृद्धि अथवा अतिरिक्त प्रोग्राम/प्रोग्रामों के लिए किसी प्रस्ताव के साथ संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से अनापत्ति प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। अनापत्ति प्रमाणपत्र के बिना अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा किसी भी प्रस्ताव पर किसी भी चरण में विचार नहीं किया जाएगा और इस प्रकार के प्रस्तावों को खारिज कर दिया जाएगा ।

2) इसके बाद से एमसीए को सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों को चला रहे इंजीनियरी महाविद्यालयों के लिए एक विषय के तौर पर माना जाएगा जैसा कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा उसके प्रलेखों में विर्निष्ट है। इस प्रकार के प्रस्तावों पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा बिना अतिरिक्त भूमि की अपेक्षा रखते हुए विचार किया जाएगा। बशर्ते अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के मानदंडों के अनुसार इंजीनियरी महाविद्यालयों में पर्याप्त निर्मित स्थान उपलब्ध हो। हालांकि संस्थान से एमसीए प्रोग्राम हेतु पृथक संयुक्त आवधिक जमा (एफ.डी.) करना अपेक्षित है।

3) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने विभिन्न तकनीकी प्रोग्रामों में भर्ती क्षमता का अनुमोदन प्रदान करने का आधार तैयार किया है जिसे शैक्षणिक वर्ष 2003-2004 से कार्यान्वित किया जाएगा जैसा कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के आवेदन पत्र में नियत किया और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की वेबसाइट www.aicte.ernet.in में अधिसूचित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रवेश क्षमता में वृद्धि को उस प्रोग्राम के प्रत्यायन की स्थिति से जोड़ा जा रहा है । अतः संस्थानों से अपेक्षित है कि वे अपने प्रोग्रामों को प्रत्यायित करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के राष्ट्रीय प्रत्यायन मंडल (एनबीए) से प्रत्यायन हासिल करेंगे।

4) बी.फार्मा पाठ्यक्रम के लिए पार्श्विक प्रविष्टि :- परिषद् ने निर्णय लिया है कि अब के बाद से द्वितीय वर्ष नियमित बी.फार्मा पाठ्यक्रम के तृतीय सत्र में वे छात्र भर्ती हो सकेंगे जिन्होंने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् और पीसीआई द्वारा अनुमोदित संस्थानों से न्यूनतम 60% अंकों (पूर्ण योग) के साथ फार्मेसी में डिप्लोमा हासिल किया हो। प्रथम वर्ष स्तर पर संस्वीकृत भर्ती के अतिरिक्त संस्वीकृत भर्ती के अधिकतम 10% को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की पार्श्विक प्रविष्टि योजना के अंतर्गत इस प्रकार के छात्रों के लिए आरक्षित रखने की अनुमति होगी ।

5) वास्तुकला स्नातक पाठ्यक्रम के लिए पार्श्विक प्रविष्टि :- परिषद् ने निर्णय लिया है कि इसके बाद से द्वितीय वर्ष नियमित वास्तुकला स्नातक पाठ्यक्रम के तृतीय सत्र में उन छात्रों को भर्ती किया जा सकता है जिन्होंने आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप में 3 वर्ष का डिप्लोमा हासिल किया हो बशर्ते इन उम्मीदवारों ने अनिवार्यतः 10+2 उत्तीर्ण किया हो और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् और सीओए द्वारा अनुमोदित संस्थानों से आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप डिप्लोमा में न्यूनतम 60% अंक (पूर्ण योग) हासिल किए हों। प्रथम वर्ष स्तर पर संस्वीकृत भर्ती के अतिरिक्त संस्वीकृत भर्ती के अधिकतम 10% को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की पार्श्विक प्रविष्टि योजना के अंतर्गत इस प्रकार के छात्रों के लिए आरक्षित रखने की अनुमति होगी। पार्श्विक प्रविष्टि के अंतर्गत भर्तियों की अनुमति वास्तुशिल्प के केवल उन स्कूलों में प्रदान की जाएगी जहां पांचवें वर्ष के वास्तु स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम का कम से कम एक बैच स्नातक हो चुका हो।

पार्श्विक प्रविष्टि योजना के दिशा-निर्देशों के ब्यौरे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के संबंधित ब्यूरो से प्राप्त किए जा सकते हैं।

प्रमुख नीतियों को हाल ही में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की वेबसाइट

www.aicte.ernet.in के माध्यम से हाल ही में अधिसूचित किया गया है जिसका संदर्भ लिया जा सकता है। इस नीति में बाद में होने वाले परिवर्तनों अथवा मौजूदा नीतियों में होने वाले संशोधनों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की वेबसाइट और/अथवा "एआईसीटीई हैण्डबुक फॉर एप्रूवल प्रोसेस" के माध्यम से अधिसूचित किया जाएगा जिसे इस नीतिगत संकल्प के भाग के तौर पर माना जाएगा।

प्रो. आर. एस. निर्जर, सदस्य-सचिव

[विज्ञापन III/IV/162/2002/असा.]

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

POLICY RESOLUTION

New Delhi, the 20th November, 2002

No. F. 37-3/Legal (iv)/2002.— In exercise of the powers conferred under Section 23 of the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987), the All India Council for Technical Education hereby makes the following Regulation in form of Policy Resolution.

AICTE during the process of granting approvals to various programmes in the past has experienced certain anomalies in the system.

In order to facilitate promotion of technical education in a qualitative and quantitative manner and ensure coordinated and integrated development of technical and management education and maintenance of standards, AICTE time and again has been adopting various suggestions from the academia, State Govt. and other agencies for improvement in the approval process.

The Executive Committee of AICTE has taken certain important policy decisions and pursuant to such decisions AICTE is determined to implement all these decisions which form the basis of this Resolution, from the academic year 2003-2004 onwards.

1) Any proposal for establishment of new technical institution or increase in intake or additional programme(s) has to be supported by the No Objection Certificate (NOC) of the concerned State Govt./UT Administration. The proposals without NOC shall not be considered by AICTE at any stage and such proposals shall stand rejected.

2) The MCA shall henceforth be considered as a discipline for engineering colleges conducting IT related courses as specified by AICTE in its documents. Such proposals shall be considered by AICTE without having to insist for additional land provided adequate built up space is available in the engineering colleges as per AICTE norms. However, the institute is required to create separate joint FD for the MCA programme.

3) AICTE has evolved a matrix for grant of approval of intake capacity to the various technical programmes which will be implemented from academic year 2003-2004 as may be stipulated in the A CTE application format and notified in the AICTE website: www.aicte.er... in . Further increase in the intake capacity is being linked with the statu... of the accreditation of that programme. The institutes are therefore required t... seek accreditation of National Board o Accreditation (NBA) of AICTE for g...ding their programmes accredited.

4) Lateral Entry for B.Pharm Course:- The Council has decided that henceforth admission at the 3rd Semester of second year regular B. Pharm course may be allowed for the students who have acquired a Diploma in Pharmacy with a minimum of 60% marks (aggregate) from AICTE and PCI approved institutions. In addition to the sanctioned intake at first year level a maximum of 10% of the sanctioned intake will be allowed to be reserved for such students, under lateral entry scheme of AICTE.

5) Lateral Entry for B. Arch course:- The Council has decided that henceforth admission at the 3rd Semester of second year regular B. Arch. course may be allowed for the students who have acquired three year Diploma in Architecture Assistantship subject to the condition that the candidates must have passed 10+2 and secured a minimum 60% marks in aggregate in the Diploma in Architectural Assistantship from AICTE and COA approved institutions. In addition to the sanctioned intake at first year level a maximum of 10% of the sanctioned intake will be allowed to be reserved for such students, under lateral entry scheme of AICTE. Admissions under lateral entry shall be allowed only in those schools of Architecture where at least one batch of 5yr B. Arch. Degree course has graduated.

The details of guidelines of lateral entry scheme may be obtained from the concerned Bureau in AICTE.

The major policies have been notified recently through AICTE website www.aicte.ernet.in which may be referred. The subsequent changes in the policy or any amendments to the existing policies shall be notified through AICTE website and/ or the "AICTE Handbook for Approval Process" which shall be treated as part of this Policy Resolution.

Prof. R.S. NIRJAR, Member-Secy.

[ADVT/III/IV/162/2002/Exty.]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2002

सं. एफ. 37-3/विधिक(iii)/2002.— अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 23 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 10 की उपधारा (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् विनियमों, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (नए तकनीकी संस्थानों, पाठ्यक्रमों अथवा प्रोग्रामों को आरंभ करने और पाठ्यक्रमों अथवा प्रोग्रामों के लिए भर्ती क्षमता हेतु अनुमोदन प्रदान करना) विनियमों 1994 और 1997 में एतद् द्वारा संशोधन करती है, नामतः - लघु शीर्षक और आरंभ करना

1) इस संशोधन को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (नए संस्थान, पाठ्यक्रम अथवा प्रोग्रामों को आरंभ करने तथा पाठ्यक्रमों अथवा प्रोग्रामों की भर्ती क्षमता हेतु अनुमोदन प्रदान करना) संशोधन विनियम, 2002 कहा जा सकता है।

2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

निम्नलिखित संशोधन एतद् द्वारा दिनांक 11 अप्रैल 1997 के विनियम सं. 711-6-1/ई.टी/96 और दिनांक 16 अगस्त, 2000 के विनियम संख्या 37-3/विधिक/2002 के साथ पढ़े जाने वाले दिनांक 31 अक्टूबर, 1994 के विनियम संख्या 304-4/सीसीआर/आरईसी/94 के मौजूदा विनियमों में अधिसूचित किए जाते हैं।

निम्नलिखित को संशोधन विनियम, 1997 के उप-विनियम 8 के अंतर्गत खंड 4 (ङ) (आवेदन की संवीक्षा) पर निम्नानुसार जोड़ा जाएगा :

"8(4) (ङ) आवेदक के लिए संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र से अनापत्ति प्रमाणपत्र हासिल करना आवश्यक होगा जिसके बिना आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया जाएगा। नए संस्थानों की स्थापना हेतु प्रस्तावों के मामले में आवेदक को सुनवाई के लिए आमंत्रित नहीं करेगी । यदि राज्य सरकार से परिषद् को अनापत्ति प्रमाणपत्र उसके द्वारा विनिर्दिष्ट अंतिम तारीख के पूर्व प्राप्त नहीं होता। यह उन आवेदकों के लिए भी वांछनीय होगा जिन्हें संबंधित सम्बद्धक विश्वविद्यालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने और उसे सुनवाई कर रही समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए सुनवाई हेतु आमंत्रित किया जाएगा"

प्रो. आर. एस. निर्जर, सदस्य-सचिव

[विज्ञापन III/IV/162/2002/असा.]

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 2002

No. F. 37-3/Legal (iii)/2002.— In exercise of the powers conferred by sub-section (k) of Section 10 read with Section 23 of the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987), the All India Council for Technical Education hereby amends the regulations, the All India Council for Technical Education (Grant of approval for starting new technical institutions introduction of courses or programmes and approval of intake capacity of seats for the courses or progrmmes) Regulations 1994 and 1997, namely –

Short Title and Commencement

(i) This amendment may be called the All India Council for Technical Education (Grant of approval for starting new Technical Institutions, introduction of courses or programmes and approval of intake capacity of seats for the courses or programmes) Amendment Regulations, 2002.

(ii) These regulations shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

The following amendments are hereby notified in the existing regulations No. 304-4/CCR/REG/94 dated 31st October, 1994 read with and regulation No. 711-6-1/ET/96, dated 11th April, 1997 and regulation No. 37-3/Legal/2002, dated 16th August, 2000.

Following shall stand inserted at Clause 4(e) under Sub-regulation 8, (Scrutiny of Application) of the Amendment Regulation, 1997 as :

"8(4)(e) It shall be necessary for the applicant to obtain No Objection Certificate (NOC) from the concerned State Government/ UT without which the application shall stand rejected. In case of proposals for establishment of new institutes, the Council shall not invite the applicant for hearing if the NOC of the State Government is not received in the Council on or before the cut off date specified by it. It shall also be desirable for the applicants who are called for hearing to obtain NOC from the concerned affiliating university and produce the same before the hearing committee."

Prof. R.S. NIRJAR, Member-Secy.

[ADVT/III/IV/162/2002/Exty.]

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

रजिस्ट्री सं. डीएल—33001/2000 REGISTERED No. DL—33001/2000

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 44] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 28, 2000 (कार्तिक 6, 1922)
No. 44] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 28, 2000 (KARTIKA 6, 1922)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]
[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिजर्व बैंक
केन्द्रीय कार्यालय
सरकारी और बैंक लेखा विभाग

मुंबई, दिनांक सितम्बर 2000

भारत सरकार के राजपत्र में 20 अप्रैल 1946 को प्रकाशित तथा 29 अप्रैल 1954 की अधिसूचना सं एफ. (8) 70/बी 5 और भारत सरकार के दिनांक 21 फरवरी, 1990 के असाधारण राजपत्र सं. 67 के अंतर्गत यथा संशोधित लोक ऋण अधिनियम 1944 की धारा 28 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के नियम 18 के अनुसरण अगस्त 2000 को समाप्त माह के लिए निम्नलिखित सूची खो गई आदि ऐसी प्रतिभूतियों के बारे में एतद्द्वारा विज्ञापित की जाती है, जिसके संबंध में इस बात का विश्वास करने के लिए प्रथम दृष्टया आधार मौजूद है कि प्रतिभूतियां खो गई हैं और आवेदकों का दावा न्यायोचित है। नीचे लिखे गए संबंधित दावेदारों से इतर सभी व्यक्ति जिनका प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार का दावा हो, तत्काल मुख्य लेखाकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय ऋण प्रभाग, मुंबई को संसूचित करें।

सूची दो भागों में विभाजित की गई है। भाग ''क'' में अभी पहली बार विज्ञापित प्रतिभूतियां शामिल की गई हैं और भाग ''ख'' में पूर्व विज्ञापित प्रतिभूतियों की सूची दी गई है।

सूची "क"

प्रतिभूतियों की सं.	मूल्य	जिस व्यक्ति के नाम जारी किया	बकाया ब्याज की तिथि	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदार का नाम	प्रतिलिपि आदेश तिथि। तथ।। संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.
9 प्रतिशत राहत पत्र 1987 (भायखला, मुंबई) सर्कल					
सी-10425	रू.1,60,000/-	जोगिन्दर कौर कोहली मनमोहन सिंह चड्ढा	6.9.1990	जोगिन्दर कौर कोहली मनमोहन सिंह चड्ढा	2.3.2000
9 प्रतिशत राहत पत्र 1999 (असंचई) अहमदाबाद सर्कल					
डी-001190	रू.70,000/-	1. क्रिष्णा रामानाथन 2. सुगुना रामानाथन 3. वैदेही रामानाथन	1.1.2000	1. क्रिष्णा रामानाथन 2. सुगुना रामानाथन 3. वैदेही रामानाथन	एलएन/एस/0334 के.का.डायरी सं.66 दिनांक 8.8.2000

सूची ख

प्रतिभूतियों की सं.	मूल्य	जिस व्यक्ति के नाम जारी किया	बकाया ब्याज की तिथि	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदार का नाम	प्रतिलिपि आदेश तिथि तथा संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.
9% राहत बांड, 1987 (भायखला,मुंबई)					
बीसी 1276 से बीसी 1285	रु. 1,00,000 (प्रति रु. 10,000)	श्री रामजी कृष्ण अय्यर	13-7-88	श्रीमती रामजी राजम	20-10-97

(श्रीमती एन.ए.. आहाले)
कृते मुख्य महा प्रबंधक
सितम्बर 2000

Indiacode

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

New Delhi the 18th day of September 2000

No.F.37-6/Legal/2000

In exercise of powers conferred by Section 14 and Section 23 (2) of the All India Council for Technical Education Act, 1987 (Act No. 52 of 1987), the All India Council for Technical Education hereby makes the following regulations in supersession of following Notification; namely:

(i) GSR 387 dated 23rd June, 1990
(ii) GSR 388 dated 23rd June, 1990
(iii) GSR 389 dated 23rd June, 1990
(iv) GSR 390 dated 23rd June, 1990
(v) GSR 184 dated 28th March, 1994

IndiaCode

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT

i) These regulations may be called the All India Council for Technical Education (Amendment) Regulations,2000, in respect of demarcation of Regional Committees and its jurisdiction.

ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. DEFINITIONS

In these regulations, unless the context otherwise reguires:

(i) 'Act' means the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987).

(ii) 'Council' means the All India Council for Technical Education established under Section 3 of the Act.

(iii) 'Regional Committee' means a Committee established under Section 14 of the Act.

3. REGIONAL COMMITTEE: There shall be following Regional Committee:-

a) Nothern Regional Committee.
b) Southern Regional Committee.
c) Western Regional Committee.
d) Eastern Regional Committee.
e) Central Regional Committee.
f) North Western Regional Committee.
g) South Western Regional Committee.

4. Composition of the Regional Committees shall be as per regulation GSR 63, January 19, 1995 of constitution of Regional Committee and notified from time to time.

5. DEMARCATION OF REGIONS:

The Regional Committees shall have the following regions of their operation:

Sr. No.	Regional Committee	Place of Office	Region of Operation
1.	Northern Regional Committee	Kanpur	Uttar Prades and Bihar
2.	Southern Regional Committee	Chennai	Tamilnadu, Andhra Pradesh and Pondicherry
3.	Western Regional Committee	Mumbai	Goa, Maharashtra, Daman, Diu, Dadra and Nagar Haveli.

IndiaCode

4.	Eastern Regional Committee	Calcutta	West Bengal, Assam, Tripura, Manipur, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Andaman and Nicobar Islands and Orissa.
5.	Central Regional Committee	Bhopal	Madhya Pradesh and Gujarat.
6.	North Western Regional Committee	Chandigarh	Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Rajasthan, Delhi and Chandigarh.
7.	South-western Regional Committee	Bangalore	Karnataka, Kerala and Lakshadeep.

IndiaCode

(R.S. Nirjar)
Member Secretary

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2000
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD, AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2000